


संचिका संख्या-09/निधि-स्कीम (0102-वृहद् सड़कें) 02-02/2025-

221(S)मेरा


पटना, दिनांक- 21/03/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ सचिव कोषांग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ सचिव कोषांग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / अभियंता प्रमुख कोषांग, पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/ संयुक्त सचिव (प्र0 को0), पथ निर्माण विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता (बजट), पथ निर्माण विभाग, पटना/ कार्यपालक अभियंता (बजट-2), पथ निर्माण विभाग, पटना/ आई.टी. मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-9 एवं लेखा प्रशाखा, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21/3/2026

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


21/03/24

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आवंटन विवरणी

संचिका संख्या-09/निधि-स्कीम (0102-वृहद् सड़कें) 02-02/2025-


221(S)मेरा

पटना, दिनांक- 21/03/2026

(राशि रू0 में)


क्र0 सं0	कार्यालय / प्रमंडल का नाम (जिन्हें आवंटन दिया जा रहा)	विषय शीर्ष	शीर्षान्तर्गत पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	0102.53.01	56,03,080	1,57,76,718	2,13,79,798	1971 / 25.02.2026
2	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय	0102.53.01	6,75,00,000	1,50,00,000	8,25,00,000	193 / 23.02.2026
योग			7,31,03,080	3,07,76,718	10,38,79,798	

वर्तमान आवंटन शब्दों में तीन करोड़ सात लाख छिहत्तर हजार सात सौ अठारह रूपये मात्र।


21.3.2026

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


21/03/24

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संचिका संख्या-09/निधि-स्कीम (0102-वृहद् सड़कें) 02-02/2025- 221(S)मेरA पटना, दिनांक- 21/03/2026
सेवा में,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना /
कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय।

विषय: मॉग सं0- 41 के मुख्य शीर्ष- 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष- 03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष- 337-सड़क निर्माण कार्य, उप शीर्ष- 0102 - वृहद् सड़कें, विपत्र कोड- 41-5054033370102 विषय शीर्ष- 0102.53.01 - मुख्य निर्माण कार्य मद अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

आदेश: चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में संलग्न आवंटन विवरणी के स्तम्भ सं0-7 में अंकित मॉग पत्र के आलोक में पथ प्रमंडल, लखीसराय एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उक्त विवरणी के स्तम्भ-5 में अंकित राशि के अनुसार कुल ₹3,07,76,718/- (तीन करोड़ सात लाख छिहत्तर हजार सात सौ अठारह रुपये) मात्र निधि का आवंटन किया जाता है। इस आवंटन सहित पथ प्रमंडल, लखीसराय एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को आवंटन विवरणी के अनुसार वर्ष 2025-26 में कुल आवंटित राशि स्तम्भ सं0-6 के अनुसार हो जायेगी।

- यह व्यय पथ निर्माण विभाग के आय-व्यय 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।
- यह व्यय मॉग सं0- 41 के मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष- 03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-337-सड़क निर्माण कार्य, उप शीर्ष- 0102 - वृहद् सड़कें, विपत्र कोड- 41-5054033370102, विषय शीर्ष- 0102.53.01 - मुख्य निर्माण कार्य मद अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।
- यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0- 2561/वि.(2) दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 227/ वि., दिनांक- 28.03.2025 एवं पत्रांक-235 /वि. दिनांक-01.04.2025 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध वित्त विभाग के पत्रांक-एम0-4-53/2007-6439 दिनांक-28.08.2018 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।
- आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।
- यह व्यय प्रशासनिक एवं प्रावैधिकी स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी योजनावार अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
- आवंटित राशि से निर्माण कार्य में व्यवहृत विभागीय सामग्रियों के व्यय को शामिल करते हुए नियमानुसार राशि का व्यय किया जाय।
- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि से बचत राशि का प्रत्यर्पण दिनांक - 20.03.2026 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय।
- प्रस्ताव पर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
- आवंटित राशि की सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

अंजनी कुमार
21/03/26
(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।